



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U. P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-3410-अ0प्र0-07 / पाकालि / 19-25-अ0प्र0-07 / 19

दिनांक 26 / 10 / 2019

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियरिटी के आधार पर 40% प्रोन्ति कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) से सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रोन्ति हेतु दिनांक 30.06.2017 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में मोहरबन्द किये गये प्रकरणों में से श्री सचिन कुमार (वरिओक्रम-8665), अवर अभियन्ता के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता (हाठ0), पविविनिलि ने पत्रांक-3258/पविविनिलि/मे/हा/ई-3/जन0, दिनांक 05.10.2019 के साथ संलग्न अधी0अभि�0, विविमं0, पविविनिलि, गाजियाबाद के पत्रांक-1838/विविमं0/गा0बाद, दिनांक 03.10.2019 द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय ने वाद सं0-7830 सन् 18 मु0अ0सं0-243/2017 धारा-392, 411 भा0द0सं0 में दोषमुक्त करते हुए प्रकरण समाप्त किये जाने के दृष्टिगत उनका मोहरबन्द लिफाफा खोलकर उन्हें अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) के पद पर नोशनल प्रोन्ति किया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नवत तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित निगम को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है :—

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम वर्ग/द्रेड/जन्मतिथि/गृह जनपद/वरिओक्र0	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्ति पश्चात् तैनाती हेतु आवंटित डिस्कॉम/इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं0
1	2	3	4	5
1	श्री सचिन कुमार/श्री महेन्द्र सिंह विव0/30.07.82/मेरठ/पिछड़ी जाति/9274	विविमं0, मुरादनगर गाजियाबाद	पूर्वांचल विविमं0लिव0	2019005

2. परिषदादेश सं0-1849-काविनी/राविप-29/97-14-काविनी/87, दिनांक 08.10.1997 में निहित प्राविधानानुसार श्री सचिन कुमार (वरिओक्र0-9274) को उनके आसन्न कनिष्ठ श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता (वरिओक्र0-9275) के प्रोन्ति आदेश विषयक कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0-1891-अ0प्र0-07/पाकालि/17, दिनांक 30.06.2017 की निर्गमन की तिथि से अर्थात् 30.06.2017 से ही नोशनल प्रोन्ति माने जाने के आदेश किये जाते हैं।
3. यह भी आदेश किये जाते हैं कि का0ज्ञासं0-440-काविनी/पाकालि-29/2000, दिनांक 01.06.2000 में निहित प्राविधानानुसार उक्त अधिकारी की अगले पद पर प्रोन्ति हेतु अर्हकारी सेवा की गणना उनकी उपरोक्त नोशनल प्रोन्ति की तिथि से की जायेगी।
4. उपरोक्त प्रोन्ति कार्मिक पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.89 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।
5. सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्ति अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी उन्हें वर्तमान कार्यभार से कार्यमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें :—
 - (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
 - (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
 - (ग) अवर अभियन्ता के विरुद्ध विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्यापि है तो उसकी नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।

6. उक्त प्रोन्नत अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से एक माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
7. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त सहायक अभियन्ता (प्रोन्नत) की तैनाती उ0प्र0पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति एवं जनहित याचिका सं0-79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
8. प्रोन्नत कार्मिक को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
9. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-3410-अ0प्र0-07/पाकालि/2019/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशास०), उ0प्र0पा0का0लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
5. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करें।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उप सचिव (अ0प्र0-03/04/गोपन), उ0प्र0पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा०का०लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03/04), उ0प्र0पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
12. संबंधित अधिकारी।
13. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)